इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2023–पौष 8, शक 1945

भाग ४

विषय–सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)–कुछ नहीं

भाग ४ (ख)–कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2023

क्रमांक 2896/मप्रविनिआ/2023. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36. वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 39 की उप–धारा(2) के खण्ड(घ) के उप–खण्ड(एक), धारा 40 के खण्ड(ग) के उप–खण्ड(एक), धारा 66 तथा धारा 86 की उप–धारा(1) के खण्ड(ग) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 {आरजी–34(I), वर्ष 2015} को पुनरीक्षित करता है और निम्न संहिता बनाता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023

1. **प्रस्तावना**—राष्ट्रीय विद्युत नीति में राज्यान्तरिक इकाईयों के मध्य, अन्तःदिवस विद्युत के अंतरण हेतु राज्य स्तर पर 'उपलब्धता आधारित विद्युत–दर' (एबीटी) की एक विश्वसनीय व्यवस्थापन क्रियाविधि के कार्यान्वयन की संस्थापना किये जाने की परिकल्पना है। राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार इस संरचना का विस्तार विद्युत उत्पादन केन्द्रों {जिनमें राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा यथा अवधारित क्षमता वाले ग्रिड संयोजित आबद्ध (केप्टिव) संयन्त्र सम्मिलित हैं} तक किया जाना चाहिए। सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 5.7.1(बी) तथा (डी) एवं विद्युत नीति की धारा 6.2(i) तथा 6.3 के उददेश्यों को प्रभावी बनाए जाने की दृष्टि से बनाई गई थी। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा तत्पश्चात् केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 अधिसूचित किये गये हैं तथा विनियम केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेन्ज्मि और संबंधित विषय) विनियम, 2014 निरसित किये जा चुके हैं। उपरोक्त दृष्टि से एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 अधिसूचित की जा रही है।

2. **संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति का विस्तार और प्रारंभ**

(1) यह संहिता **"मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 [आरजी–34(II), वर्ष 2023}"** कहलायेगी।

(2) यह संहिता मध्यप्रदेश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर लागू होगी तथा इसका अनुप्रयोग राज्य पारेषण तन्त्र (नेटवर्क) से संयोजित समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों को किया जाएगा जो इस संहिता में निर्दिष्ट रीति के अनुसार राज्य के भीतर/बाहर विद्युत का विक्रय करती हैं या राज्य के भीतर या बाहर विद्युत का क्रय करती हैं।

(3) यह संहिता आयोग द्वारा ऐसी तिथि से प्रवृत्त होगी जैसा कि आयोग द्वारा पृथक से इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।

3. (1) **परिभाषाएं** :– इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) ;

(ख) **"क्रेता (Buyer)"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो ग्रिड संहिता के अनुसार अनुसूचित लेन–देन संव्यवहार के माध्यम से विद्युत क्रय करता हो ;

(ग) **"केविविआ"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट किया गया केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ;

(घ) **"सीएमआरआई (CMRI)"** से अभिप्रेत है बहुनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मापयंत्रों से आंकड़ों को डाउनलोड करने तथा इनके संग्रहण हेतु उपयोग में लाए जाने वाला सामान्य मापयंत्र वाचन उपकरण ;

(ङ) **"आयोग"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 82 के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

(च) **"दिवस"** से अभिप्रेत है एक निरन्तर कालावधि जो 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होकर 24.00 घंटे (बजे) पर समाप्त होती है ;

(छ) **"विस्तृत प्रक्रिया"** से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इस संहिता के अधीन जारी की गई विस्तृत परिचालन प्रक्रिया ;

(ज) **"विचलन"** किसी समय–खण्ड में किसी विक्रेता हेतु इसका तात्पर्य इसके वास्तविक अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन) में से इसके समग्र अनुसूचित उत्पादन को घटा कर प्राप्त की गई मात्रा से है जबकि किसी क्रेता हेतु इसका तात्पर्य इसके समग्र वास्तविक आहरण में से इसके समग्र अनुसूचित आहरण की मात्रा को घटाकर प्राप्त की गई मात्रा से है ;

(झ) **"विचलन प्रभार"** से अभिप्रेत प्रभारों से है जैसा कि इनकी गणना केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों तथा क्रियाविधि के अनुसार की जाए ;

(ञ) **"विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म विनियम"** से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 तथा इसमें उसके कोई पश्चात्वर्ती संशोधन ;

(ट) **"वितरण कम्पनी नियन्त्रण केन्द्र (DCC)"** से अभिप्रेत है, इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी मुख्यालय पर आवश्यक अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों से युक्त संस्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष जिसके निर्माण, स्वामित्व, संचालन तथा संधारण का दायित्व संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी का होगा ;

(ठ) **"वितरण कम्पनी ऊर्जा लेखांकन दल (DEAG)"** से अभिप्रेत है, प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वितरण कम्पनी नियन्त्रण केन्द्र पर गठित किया जाने वाला ग्रुप जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र के समन्वय से (जहां कहीं यह अपेक्षित हो), इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा ;

(ड) **"वितरण अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत वितरण कम्पनी"** से अभिप्रेत है, कोई अनुज्ञप्तिधारी जो उसके प्रदाय–क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु किसी विद्युत वितरण प्रणाली को संचालित तथा संधारित किये जाने हेतु प्राधिकृत है ;

(ढ) **"आहरण अनुसूची (Drawal Schedule) या अनुसूचित आहरण (Scheduled Drawal)"** का किसी क्रेता हेतु, किसी समय–खण्ड या किसी कालावधि से, अभिप्रेत राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा एक्स बस मेगावाट ऑवर (MWh) में या मेगावाट (MW) में प्रदान किये गये आहरण की अनुसूची से है ;

(ण) **"ऊर्जा लेखांकन दल (EAG)"** से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्तर पर गठित किया जाने वाला दल जो इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा ;

(त) **"स्वत्वाधिकार (Entitlement)"** से अभिप्रेत है किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता/उत्पादन सुयोग्यता में विद्युत वितरण कम्पनी तथा एक निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेता का अंशदान (मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर में) ;

(थ) **"विद्युत संयन्त्र से उद्भूत या एक्स–विद्युत संयन्त्र"** से अभिप्रेत है एक विद्युत उत्पादन केन्द्र से सहायक खपत तथा रूपान्तरण हानियों को घटाकर शुद्ध विद्युत उत्पादन, मेगावाट/मेगावाट ऑवर में ;

(द) **"उत्पादक नियंत्रण केन्द्र (GCC)"** से अभिप्रेत है इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों से युक्त मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड मुख्यालय पर संस्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष जिसके निर्माण, स्वामित्व अधिकार, परिचालन तथा संधारण का दायित्व मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का होगा ;

(ध) **"ग्रिड"** से अभिप्रेत है अन्तर्संयोजित पारेषण तन्तुपथों (लाईनों), उपकेन्द्रों तथा विद्युत उत्पादन संयन्त्रों की उच्च वोल्टेज आधारित आधारभूत प्रणाली ;

(न) **"स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक (IPP)"** से अभिप्रेत है कोई विद्युत उत्पादन कम्पनी जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा धारित या नियंत्रित न की जा रही हो ;

(प) **"भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC)"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा(1) के खण्ड(ज) के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई ग्रिड संहिता ;

(फ) **"अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्र (ISGS)"** से अभिप्रेत है कोई केन्द्रीय/अन्य विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसमें दो या दो से अधिक राज्यों की भागीदारी हो तथा जिसके अनुसूचीकरण का समन्वयन क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) द्वारा किया जा रहा हो ;

(ब) **"राज्यान्तरिक इकाई (Intra-State Entity)"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति (इकाई) जिसका विद्युत मापन (मीटरिंग) यथास्थिति राज्य पारेषण उपयोगिता (यूटिलिटी) या विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है, तथा ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र या अन्य किसी प्राधिकृत राज्य अभिकरण द्वारा किया जाता है ;

(भ) **"मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (MPEGC)"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा(1) के खण्ड(ज) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई ग्रिड संहिता ;

(म) **"माह"** से अभिप्रेत है ग्रिगोरियन (Gregorian) कैलेण्डर के अनुसार निर्दिष्ट एक कैलेण्डर माह की अवधि;

(य) **"एमपीपीएमसीएल (MPPMCL)"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 29 जून, 2012 के माध्यम से गठित की गई मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ;

(य–क) **"शुद्ध आहरण अनुसूची (Net Drawal Schedule)"** से अभिप्रेत है किसी विद्युत वितरण कम्पनी अथवा किसी निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेता की आनुपातिक पारेषण हानियों (प्राक्कलित) को घटाकर तैयार की गई आहरण अनुसूची ;

(य–ख) **"निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेता"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति (इकाई) जिसे समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (इन्टरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क एक्सेस) विनियम, 2022 और समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में

अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम (पुनरीक्षण–प्रथम), 2021 के अधीन उसके प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति से विद्युत प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है या कोई विद्युत उत्पादन कम्पनी {आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयन्त्र को सम्मिलित करते हुए} या कोई अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा निर्बाध (खुली) पहुंच की सुविधा प्राप्त की गई है या इस हेतु इच्छुक हो ;

(य–घ) **"अनुसूचित उत्पादन (Scheduled Genration) या अनुसूचित अन्तःक्षेपण (Scheduled Injection)"** का किसी समय–खण्ड या किसी कालावधि में किसी विक्रेता हेतु अभिप्राय है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदत्त उत्पादन या अन्तःक्षेपण की अनुसूची मेगावाट (MW) या मेगावाट (MWh) ऑवर एक्स बस में ;

(य–ङ) **"विक्रेता (Seller)"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, विद्युत उत्पादन केन्द्र को सम्मिलित करते हुए जो केन्द्रीय तथा राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार किसी लेन–देन संव्यवहार के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति कर रहा हो ;

(य–च) **"राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC)"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा(1) के अधीन स्थापित केन्द्र ;

(य–छ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य ;

(य–ज) **"राज्य ऊर्जा लेखा (SEA)"** से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा क्षमता प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों तथा प्रोत्साहन, यदि कोई लागू हों, की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया मासिक राज्य ऊर्जा लेखा ;

(य–झ) **"राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा (SRA)"** से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रतिक्रियाशील (Reactive) ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया साप्ताहिक राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा ;

(य–ञ) **"राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा (SDSMA)"** से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विचलन प्रभारों की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया साप्ताहिक राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा ;

(य–ट) **"राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र (SSGS)"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंम्पनी द्वारा संचालित राज्य के भीतर कोई विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसमें पेंच जल विद्युत केन्द्र सम्मिलित है, अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा स्वतंत्र विद्युत

उत्पादन केन्द्रों/आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादक जो मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थित हैं तथा जिनमें राज्य का अपना अंशदान है, को छोड़कर ;

(य–ठ) **"राज्य पारेषण उपयोगिता (STU)"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 39 की उप–धारा(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सरकारी कंपनी ;

(य–ड) **"समय–खण्ड"** से अभिप्रेत है समय खण्ड (टाईम ब्लाक) जैसा कि इसे राज्य ग्रिड संहिता में परिभाषित किया गया है ;

(य–ढ) **"पारेषण अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत है कोई अनुज्ञप्तिधारी जिसे पारेषण तन्तुपथों को स्थापित तथा संचालित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ; और

(य–ण) **"सप्ताह"** से अभिप्रेत है सात दिवस की निरंतर कालावधि जो ग्रिगोरियन (Gregorian) कैलेण्डर के अनुसार सोमवार को 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होकर आगामी रविवार को 24.00 घंटे (बजे) पर समाप्त होती है।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इस संहिता में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं, तथा जो अधिनियम या केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम 2022 या भारतीय ग्रिड संहिता या मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में परिभाषित किये गये हैं, के वे ही अर्थ होंगे जो यथास्थिति अधिनियम या केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम 2022 या भारतीय ग्रिड संहिता या मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में उनके लिए निर्दिष्ट किये गये हैं।

4. अधोसंरचना तथा क्षमता आवश्यकताएं (Infrastructure and Capability Requirements)

(1) इस संहिता के सम्पूर्ण कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्यान्तरिक इकाई यथोचित अधोसंरचना तथा क्षमता विकसित किया जाना सुनिश्चित करेगी।

(2) इस संहिता के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र सुसंबद्ध तथा शेष मामले जिन्हें इस संहिता में विस्तृत रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है, के बारे में विद्यमान विस्तृत प्रक्रिया संबंधी संशोधन तैयार कर 30 दिवस के भीतर इसे आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा :

(क) अनुसूचीकरण (Scheduling) तथा प्रेषण (Despatch) हेतु विस्तृत प्रक्रिया;

(ख) ऊर्जा मीटरीकरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया (जिसमें डाटा संग्रहण, डाटा प्रसंस्करण, डाटा अन्तरण, डाटा परिरक्षण, आदि सम्मिलित हैं) ;

(ग) ऊर्जा लेखांकन, विचलन प्रभारों का लेखांकन, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का लेखांकन और विचलन प्रभारों तथा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का भुगतान व्यवस्थापन {राज्य समेकित (पूल) खाता के प्रबंधन, आदि को सम्मिलित करते हुए} हेतु विस्तृत प्रक्रिया ;

(घ) अत्यधिक आपूर्ति/ग्रिड आकस्मिकताओं के दौरान पॉवर में कटौती के बारे में विस्तृत प्रक्रिया ; तथा

(ङ) अन्य कोई प्रक्रिया जिसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस संहिता के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक समझे।

(3) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी इस संहिता के क्रियान्वयन हेतु संबंधित वितरण कंपनी नियंत्रण केन्द्र पर वितरण कम्पनी ऊर्जा लेखांकन दल को विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि विद्युत वितरण कम्पनी अन्तःस्थापित निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं (जो विद्युत वितरण कम्पनी से संयोजित हैं) के लिये विचलन प्रभारों की गणना और लघु–अवधि खुली पहुंच के अन्तर्गत विद्युत के लेन–देन संव्यवहार करने वाले निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं का समय खण्ड स्तर पर ऊर्जा के व्यवस्थापन, तथा अन्य गतिविधियां जो इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु वांछित हैं, के लिये पूर्ण रूप से विकसित तथा सुसज्जित करेगी।

5. **अनुसूचीकरण तथा प्रेषण (Scheduling & Despatch)**

(1) समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का अनुसूचीकरण तथा प्रेषण समय–समय पर यथासंशोधित एवं यथापुनरीक्षित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (MPEGC) (पुनरीक्षण–द्वितीय) 2019 के सुसंबद्ध उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा। समस्त अनुसूचीकरण समय–खण्ड स्तर पर किया जाएगा जैसा कि इसे राज्य ग्रिड संहिता में परिभाषित किया गया है। वर्तमान में समय खण्ड 15 मिनट की कालावधि का है तथा प्रत्येक दिवस 00.00 घंटों से प्रारंभ होकर 24.00 घंटों (बजे) तक 96 एक–समान समय–खण्डों में विभाजित किया जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक क्रेता को आहरण अनुसूची (Drawal Schedule) तथा प्रत्येक विक्रेता को विद्युत उत्पादन अनुसूची (Generation Schedule) के बारे में संकलित कर सूचित करेगा।

(2) उत्पादन अनुसूचियों को तैयार करते समय राज्य भार प्रेषण केन्द्र, पारेषण प्रणाली के प्रतिबन्धों तथा विद्युत उत्पादन पर परिचालन की सीमाओं (शर्तों) तथा सीमाबद्धताओं के प्रावधान को ध्यान में रखेगा जैसा कि इसका प्रावधान

समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में किया गया है।

(3) क्रेताओं की उनकी बाह्य सीमा (Periphery) पर शुद्ध आहरण अनुसूचियों (Net Drawal Schdules) की गणना हेतु साप्ताहिक संयोजन बिन्दु हानियों जैसा कि इनकी गणना राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार तथा हानियों में साझेदारी) विनियम 2020 के अनुसार की जाएगी तथा मध्यप्रदेश की साप्ताहिक परिकलित पारेषण हानियों, राज्य विद्युत वितरण कम्पनीवार पारेषण हानियों (राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु प्रयोज्य) और वितरण/अन्य हानियों, यदि लागू हों, को उनकी आहरण अनुसूचियों के अनुपात में संविभाजित किया जाएगा। मप्र पारेषण तथा विद्युत वितरण कम्पनीवार पारेषण हानियों की साप्ताहिक गणना के लिये राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी ;

(क) किसी प्रदत्त सप्ताह हेतु राज्य पारेषण हानि = {एक सप्ताह में राज्य ग्रिड में कुल शुद्ध (नेट) अंतःक्षेपण (इन्जेक्शन}–(राज्य ग्रिड से सप्ताह में शुद्ध आहरण) ;

(ख) किसी प्रदत्त सप्ताह हेतु राज्य विद्युत वितरण कम्पनीवार पारेषण हानि={मप्र राज्य की बाह्य सीमा पर एक सप्ताह में कुल शुद्ध अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन)} – (राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा एक सप्ताह में राज्य ग्रिड से किया गया शुद्ध आहरण) ;

(ग) $n^{वें}$ सप्ताह में हानि की गणना $(n+1)^{वें}$ सप्ताह के पांचवे दिवस तक की जाएगी ;

(घ) हानि के इस आंकड़े को तत्पश्चात् $(n+2)^{वें}$ सप्ताह के प्रारंभ से अनुसूचीकरण प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाएगा ;

(ङ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र $n^{वें}$ सप्ताह की वास्तविक हानि को $(n+2)^{वें}$ सप्ताह में अनुसूचीकरण के प्रयोजन से निकटतम 0.01% तक, पूर्णांक करेगा (उदाहरणतया, 4.705% को 4.71% तक पूर्णांक किया जाएगा, तथा इसी प्रकार 3.442% को 3.44% तक पूर्णांक किया जाएगा, इत्यादि); तथा

(च) ग्रिड में अपवादित प्रकृति की घटनाओं के परिणाम किसी सप्ताह के दौरान असामान्य रूप से उच्च अथवा निम्न हानियों के रूप में प्रकट

हो सकते हैं। यह या तो मौसम में किसी विक्षोभ के कारण राज्य में किसी भार में अचानक कमी आ जाने के रूप में अथवा किसी वृहद् जल–विद्युत पावर स्टेशन के मानसून में जलाशय से किसी रेत (सिल्ट)/कचरे की निकासी हेतु उसे बन्द किये जाने के कारण या किसी मुख्य पारेषण तन्तुपथ आदि में अवरोध इत्यादि के कारण हो सकता है। जहां तक अनुसूचीकरण प्रक्रिया का संबंध है, इन असामान्य सप्ताहों हेतु, हानियों पर सामान्यतः ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र का निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

(4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपनी वेबसाइट पर समस्त अनुसूचीकरण सूचनाएं, स्टेशन–वार पूर्वानुमान एक्स–विद्युत संयन्त्र क्षमताओं के जैसा कि विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा इस बाबत परामर्श दिया जाए, अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों, राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों में स्वत्वाधिकारों, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन) एवं आहरण अनुसूचियां, समस्त पुनरीक्षण सम्मिलित करते हुए अपलोड करेगा।

(5) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई अनुसूचीकरण संबंधी प्रक्रिया तथा अन्तिम कार्यान्वित अनुसूचियों को समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों को किसी जांच/सत्यापन बाबत 5 दिवस की अवधि हेतु प्रकट किया जाएगा। यदि कोई त्रुटि/चूक इंगित की जाए तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र त्रुटि, यदि कोई हो तो तत्काल इसकी सम्पूर्ण जांच करेगा तथा इसमें आवश्यक सुधार करेगा।

(6) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी के समस्त जल विद्युत केन्द्रों द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2020 के अनुसार दिवस पूर्व घोषित क्षमता (Declared Capacity-DC) प्रस्तुत की जाएगी।

6. **ऊर्जा मापयन्त्र प्रणाली (Energy Metering)**

(1) राज्य पारेषण उपयोगिता (State Transmission Utility) द्वारा समस्त अन्तरापृष्ठ बिन्दुओं (interface points), मय राज्य पारेषण उपयोगिता नेटवर्क से संयोजित राज्यान्तरिक इकाईयों के, पर विशेष ऊर्जा मापयन्त्र (Special Energy Meters) तथा स्वचालित मापयन्त्र वाचन सुविधा (AMR facility), स्थापित की जाएगी एवं वितरण कम्पनी अन्तःस्थापित (embeded) (खुली पहुंच ग्राहक एवं नवीकरणीय

ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्र) तथा अन्तर–वितरण कम्पनी अन्तरापृष्ठ बिन्दु वास्तविक शुद्ध किलोवाट ऑवर विनिमय (Interchanges) तथा KVArh अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन) आहरणों के अभिलेखन हेतु विशेष ऊर्जा मापयंत्र स्थापित करेगी।

विद्युत उत्पादन केन्द्रों (ताप, जल–विद्युत तथा नवीकरणीय), रेलवे, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) तथा खुली पहुंच क्रेताओं के अन्तरापृष्ठ बिन्दुओं पर स्थापित किये गये उपलब्धता आधारित टैरिफ मापयन्त्रों (ABT meters) {मुख्य, प्रति–परीक्षण तथा आपात–उपयोगी (स्टेंडबाई)} तथा स्वचालित मापयन्त्र वाचन सुविधा की लागत इन उपयोगिताओं (Utilities) द्वारा वहन की जाएगी। स्थापित किये जाने वाले मापयन्त्रों के प्रकार, मापयन्त्र स्थापना योजना, मापयन्त्र स्थापना योग्यता, परीक्षण तथा अंशाकन अर्हताएं तथा मीटरीकृत आंकड़ों के संग्रहण तथा प्रसार को समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2019 तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मापयन्त्रों की स्थापना तथा परिचालन) विनियम, 2006 के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा। समस्त संबंधित राज्यान्तरिक इकाईयों (अन्तरापृष्ठ मापयन्त्रों के स्वामियों) को सदैव यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वचालित मापयन्त्र वाचन सुविधा क्रियाशील (functional) है तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आंकड़ों के संप्रेषण के योग्य है। यदि विशेष ऊर्जा मापयन्त्र के साप्ताहिक आंकड़े राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर स्थापित की गई स्वचालित प्रणाली पर प्राप्त न होते हों तो इन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा तथा यथास्थिति संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी या राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों (SSGS) द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को संप्रेषित किया जा सकेगा जो उनके तन्त्र (नेटवर्क) के साथ अन्तरापृष्ठ (इन्टरफेस) धारित करता हो। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली इस प्रकार की सेवाओं की लागत उपलब्धता आधारित टैरिफ मापयन्त्र (ABT Meter) के स्वामी से वसूल की जा सकेगी।

रविवार मध्यरात्रि तक सप्ताह की अवधि पूर्ण होने पर, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर स्थापित की गई स्वचालित मापयन्त्र वाचन प्रणाली (AMR System) के माध्यम से अन्तरापृष्ठ बिन्दुओं (Interface points) के मापयन्त्र आंकड़ों को डाउनलोड करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसे मापयंत्र जिनका स्वचलान मापयंत्र वाचन प्रणाली (AMR System) के माध्यम से वाचन नहीं हुआ हो, की सूची को चालू सप्ताह के मंगलवार तक ई–मेल के माध्यम से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी या राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों (SSGS) को,

यथास्थिति, सूचित करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र से ई–मेल प्राप्त होने पर संबंधित अनुज्ञप्तिधारी या राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र (SSGS), यथास्थिति, हस्तचालित व्यवस्था द्वारा मापयन्त्र आंकड़ों को MRI के माध्यम से डाउनलोड करेंगे तथा आंकड़ों को राज्य भार प्रेषण केन्द्र को चालू सप्ताह में ही अधिक से अधिक गुरूवार तक सम्प्रेषित करेंगे।

(2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, मापयन्त्र वाचन के आधार पर समय खण्ड अनुसार प्रत्येक विक्रेता के शुद्ध किलोवाट ऑवर अन्तःक्षेप तथा प्रत्येक क्रेता के वास्तविक शुद्ध आहरण की गणना करने तथा राज्य विचलन प्रभार लेखा व प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी के लिये, राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा (State Reactive Account) को तैयार करने के लिये, निम्न वोल्टेज तथा उच्च वोल्टेज के दौरान दिवसवार शुद्ध प्रतिक्रियाशील ऊर्जा अन्तःक्षेपण (Reactive Energy Injection)/ राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा (State Reactive Account) तैयार करने हेतु उत्तरदायी होगा। समस्त खण्डवार वास्तविक ऊर्जा आंकड़ों (KWh में) को (शुद्ध अनुसूचित, वास्तविक मीटरीकृत एवं विचलन बाबत) तथा दिवस–वार प्रतिक्रियाशील ऊर्जा के आंकड़ों (KVArh में) को शून्य दशमलव स्थान तक पूर्णांकित (round off) किया जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निष्पादित की गई समस्त गणनाएं समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों की जांच/सत्यापन हेतु पंद्रह (15) दिवस की अवधि हेतु, अवलोकनार्थ रखी जाएंगी। यदि ऊर्जा मीटरीकरण, राज्य ऊर्जा लेखे, राज्य विचलन लेखे तथा राज्य प्रतिक्रिशील लेखे में किसी प्रकार की त्रुटि इंगित की जाती हो, तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मामले की व्यापक छानवीन की जाएगी तथा उसके द्वारा पंद्रह दिवस के भीतर त्रुटि(यों) में, यदि कोई हों, तो इनमें आवश्यक सुधार किया जाएगा।

(3) मापयन्त्र/मापयन्त्र उपकरण के विफल हो जाने के कारण, मुख्य मापयन्त्र, प्रतिपरीक्षण तथा आपात उपयोगी (main meter, check and standby meter) के आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण या समय पर आंकड़े प्राप्त न हाने पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र लुप्त (missing) मापयन्त्र आंकड़ों का आकलन करेगा जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 के खण्ड 15 में परिभाषित किया गया है। राज्य भार प्रेषण केन्द्र लुप्त आंकड़ों का आकलन निम्न आधार पर करेगा :

(एक) विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु – राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर 'SCADA' के माध्यम से उपलब्ध विद्युत उत्पादन आंकड़ों के आधार पर।

(दो) विद्युत वितरण कम्पनियों के अन्तरापृष्ठ बिन्दुओं पर रेलवे तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) को सम्मिलित करते हुए–आंकड़ों का आकलन 'SCADA' आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा यदि वह उपलब्ध है या फिर इसी अन्तरापृष्ठ बिन्दु पर स्थापित किये गये एबीटी मापयन्त्र के पूर्व सप्ताह के लिये उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा व इसे बाजू में स्थापित किये गये ट्रांसफार्मरों/संभरक के भार प्रतिदर्श (load pattern) से संरेखित समायोजित किया जाएगा।

(तीन) खुली पहुंच क्रेताओं हेतु – राज्य भार प्रेषण केन्द्र विचलन प्रभारों (deviation charges) की गणना करते समय वास्तविक आंकड़ों को अनुसूची के आंकड़ो से प्रतिस्थापित (substitute) करेगा।

7. **ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन (Energy Accounting and Settlement)**

राज्य ऊर्जा लेखा (SEA)

(1) राज्य भार प्रेषण केन्द्र मासिक राज्य ऊर्जा लेखा तैयार करेगा तथा इसे आगामी माह के 7वें दिवस अथवा पश्चिम क्षेत्रीय ऊर्जा समिति द्वारा क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (REA) जारी किये जाने के पश्चात् की किसी दिनांक में समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों को जारी करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जब कभी भी अपेक्षित हो राज्य ऊर्जा लेखे को समय–समय पर पुनरीक्षित किया जाएगा। राज्य ऊर्जा लेखा में व्यापक रूप में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित की जाएगी :

(क) प्रत्येक राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक तथा द्विभाग टैरिफ के अन्तर्गत अन्य किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु PAFM {माह के दौरान प्राप्त किया गया संयन्त्र उपलब्धता कारक (%में)} का विवरण :

परन्तु यह कि यदि स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक जिनका एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी के साथ आँशिक क्षमता का गठबन्धन (tieup) है, लाभार्थी द्वारा उनकी संविदाकृत क्षमता के लिये तकनीकी न्यूनतम अनुसूची प्रदत्त किये जाने के बावजूद अपनी इकाई को 'bar' पर नहीं रखते हैं तो इकाई को अनिवार्य अवरोध (forced outage) के अन्तर्गत

माना जाएगा तथा संयन्त्र उपलब्धता कारक (PAF) की संगणना तद्नुसार की जाएगी ;

(ख) राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक तथा द्विभाग टैरिफ के अधीन अन्य किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा घोषित क्षमता की मिथ्या घोषणा के ब्यौरे (यदि कोई हों) ;

(ग) अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्र, राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्र, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक तथा द्विभाग टैरिफ के अधीन अन्य किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत उत्पादन कम्पनियों/विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी को अनुसूचित ऊर्जा संबंधी विवरण ;

(घ) उभयनिष्ठ मापन (मीटरिंग) बिन्दु पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों (REG) के ऊर्जा अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन), मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा क्रय की गई विद्युत तथा स्वयं के उपयोग/तृतीय पक्ष को विक्रय के लिये विद्युत वितरण कम्पनियों को चक्रित की गई ऊर्जा के ब्योरे जैसा कि वे विद्युत वितरण कम्पनियों/मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं ; और

(ङ) अन्य कोई विवरण, जिसके संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य ऊर्जा लेखा को पूर्ण करने के लिए उचित समझे।

(2) विद्युत वितरण कम्पनियां (मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की सुसंगत अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अनुसार, संबंधित अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्र को अनुसूचित प्रेषण (scheduled despatch) हेतु (एक्स–पावर संयंत्र आधार पर), संयंत्र उपलब्धता तथा ऊर्जा प्रभारों एवं संयंत्र भार कारक (PLF) प्रोत्साहनों (यदि कोई हों), से तत्संबंधी क्षमता प्रभारों का भुगतान करेंगी। इन प्रभारों से संबंधित देयक तत्संबंधी अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे।

(3) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की सुसंगत अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अनुसार, संबंधित राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को अनुसूचित प्रेषण (scheduled

despatch) हेतु (एक्स–पावर संयंत्र आधार पर), संयंत्र उपलब्धता तथा ऊर्जा प्रभारों से तत्संबंधी क्षमता प्रभारों का भुगतान करेगी। इन प्रभारों से संबंधित देयक राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र/स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (IPP) इत्यादि द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को (मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से) मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे।

राज्य डी एस एम लेखा (SDSMA)

(4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र साप्ताहिक राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा (DSMA) सप्ताह के अन्तिम दिन से दस दिवस के भीतर तैयार कर (समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों को) जारी करेगा तथा यदि आवश्यक हो तो बाद की किसी तिथि को इसे पुनरीक्षित भी करेगा। विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट क्रियाविधि तथा विचलनों के अनुसार तैयार किया जाएगा। विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा में व्यापक तौर पर निम्न जानकारी सम्मिलित की जाएगी :

(क) वर्तमान में प्रचलित विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि संरचना के ब्यौरे ;

(ख) प्रत्येक राज्यान्तरिक इकाई के दिवसवार तथा कुल विचलन प्रभारों के विवरण {विवरण में सम्मिलित होंगे, अनुसूचित ऊर्जा, वास्तविक ऊर्जा, विचलन प्रभार (असमायोजित) तथा विचलन प्रभार (समायोजित)} ;

(ग) संक्षेपिका सारणी, समस्त इकाईयों को सप्ताह के दौरान उनको देय अथवा प्राप्ति योग्य विचलन प्रभार तथा शुद्ध विचलन प्रभार संकोष (पूल) सन्तुलन को सूचीबद्ध करते हुए ;

(घ) पारेषण के प्रतिबंधों तथा ग्रिड विक्षोभों के कारण विचलन के समय–खंडों के स्थगन के ब्यौरे ; और

(ङ) अन्य कोई ब्यौरे, जिन्हें राज्य भार प्रेषण केन्द्र विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा को पूर्ण किये जाने हेतु उचित समझता हो।

(5) मध्यप्रदेश राज्य द्वारा क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि संकोष लेखा में भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य विचलन की समन्वित विचलन राशि को पश्चिमी

क्षेत्र ऊर्जा समिति (वेस्टर्न रीजन पावर कमेटी–डब्लूआरपीसी) द्वारा तैयार तथा प्रसारित किये गये साप्ताहिक क्षेत्रीय डीएसएम लेखा से प्राप्त किया जाएगा।

(6) किसी समय–खण्ड में विचलन तथा प्रत्येक क्रेता तथा विक्रेता के विचलन हेतु प्रभारों की संगणना, पवन तथा सौर ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों को छोड़कर, समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म एवं संबंधित विषय) विनियम, 2022 के अनुसार तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस संबंध में जारी कतिपय दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

(7) राज्य में सक्रिय ऊर्जा लेन–देन संव्यवहार हेतु निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

(क) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा अधिक–विद्युत आहरण (Over-Drawal) हेतु (+) भुगतान–योग्य राशि ;

(ख) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा कम–विद्युत आहरण (Under-Drawal) हेतु (–) प्राप्ति–योग्य राशि ;

(ग) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा कम–विद्युत उत्पादन (Under-Generation) हेतु (+) भुगतान–योग्य राशि ;

(घ) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा अधिक–विद्युत उत्पादन (Over-Generation) हेतु (–) प्राप्ति–योग्य राशि ;

(8) **विचलन प्रभारों के असंतुलन व्यवस्थापन की प्रक्रिया :**

विचलन प्रभारों का संकोष सन्तुलन (Pool Balancing) तीन चरणों में निम्नानुसार किया जाएगा :

एक. विद्युत वितरण कम्पनियों, {मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (CZ), मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (EZ), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (WZ)} का संकोष संतुलन (pool balancing) कुल विचलन प्रभारों (Total Deviation Charges) के साथ किया जाएगा। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कुल विचलन प्रभारों (भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य) का मिलान दिवस–स्तर पर किया जाएगा।

दो. खुली पहुंच क्रेताओं (OACs) को छोड़कर, समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का संकोष सन्तुलन (पूल बैलेंसिंग) दीर्घ–अवधि के अधीन किया जाएगा।

तीन. खुली पहुंच क्रेताओं तथा ऐसे विद्युत उत्पादक जो अशक्त ऊर्जा (infirm power) का अन्तःक्षेपण करते हैं, को सम्मिलित करते हुए समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का संकोष सन्तुलन (पूल बैलेंसिंग) किया जाएगा।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा राज्यान्तरिक इकाईयों के विचलन प्रभारों का असंतुलन व्यवस्थापन (imbalance settlement) संलग्न परिशिष्ट के अनुसार किया जाएगा।

(9) किसी विद्युत उत्पादन इकाई (Generating unit) को क्रियाशील किये जाने की तिथि (COD) से पूर्व अशक्त विद्युत (infirm power) के अंतःक्षेपण (इन्जेक्शन) तथा प्रारंभिक विद्युत के आहरण हेतु विचलन संबंधी प्रभारों की संगणना समय–समय पर यथासंशोधित केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म एवं संबंधित विषय) विनियम, 2022 के अनुसार की जाएगी :

परन्तु यह कि मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के विद्युत उत्पादन केन्द्र (पावर स्टेशन) की किसी विद्युत उत्पादन इकाई के क्रियाशील किये जाने की तिथि (COD) से पूर्व अन्तःक्षेपित की गई अशक्त विद्युत (infirm power) की गणना विचलन (Deviation) के रूप में की जाएगी तथा इसका भुगतान राज्य विचलन संकोष लेखे (State Deviation Pool Account) से प्रयोज्य विचलन दर (Deviation Rate) के अनुसार किया जाएगा।

(10) ताप विद्युत उत्पादन इकाई (विक्रेता) के अनिवार्य अवरोध (forced outage) के प्रकरण में, विचलन हेतु प्रभार ऊर्जा प्रभार दर (energy charge rate) की दर से, चार काल खण्डों की उच्चतम अवधि हेतु या इसकी अनुसूची का पुनरीक्षण किये जाने तक, इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो, लागू होंगे। घोषित क्षमता/अनुसूची के अभाव में विद्युत के अन्तःक्षेपण (injection) हेतु कोई भी प्रभार देय न होंगे।

(11) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों, नर्मदा हायड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (NHDC) (इन्दिरा सागर परियोजना को छोड़कर), छोटे जल विद्युत उत्पादक, नगरपालिक ठोस

अपशिष्ट संयन्त्रों तथा बाओमास विद्युत उत्पादकों (जिनकी स्थापित क्षमता 15 मेगावाट से कम है) को विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि के विस्तार क्षेत्र से छूट प्रदान की गई है।

(12) राज्य की प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी (यथा, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी) के विचलन प्रभारों (Deviaiton Charges) की संगणना क्रेता श्रेणी हेतु (नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्य होने के कारण) हेतु समय–समय पर यथासंशोधित केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मेकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार की जाएगी।

(13) उपरोक्त उप–खण्ड (12) में उल्लेखित क्रेताओं को छोड़कर, तथा यथास्थिति {ऐसे क्रेता को छोड़कर भी जिसकी अनुसूची (शेड्यूल) 400 मेगावाट से कम है तथा नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्य है} या ऐसी श्रेणी का क्रेता है {जिसकी अनुसूची (शेड्यूल) 400 मेगावाट तक है}, अन्य क्रेताओं हेतु, जैसे कि (रेलवे, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र), राज्य तन्त्र (नेटवर्क) से संयोजित निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं या वे जिनका नियन्त्रण क्षेत्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबद्ध है तथा राज्य के भीतर या बाहर से विद्युत का क्रय करते हों क्रेता हेतु विचलन प्रभारों की संगणना समय–समय पर यथासंशोधित केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मेकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार की जाएगी।

(14) मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों (पावर स्टेशनों), स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPPs), इन्दिरा सागर परियोजना (एनएचडीसी), बाओमास विद्युत उत्पादकों (Biomass Generators) (जिनकी स्थापित क्षमता 15 मेगावाट से अधिक है) या अन्य कोई ताप विद्युत उत्पादक (थर्मल जनरेटर) जो राज्य तन्त्र (नेटवर्क) से संयोजित है या जिनका नियन्त्रण क्षेत्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबद्ध है तथा खुली पहुँच उपभोक्ता जो राज्य तंत्र (नेटवर्क) से संयोजित हैं या जिनका नियंत्रण क्षेत्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र से सम्बद्ध है तथा राज्य के भीतर या बाहर से विद्युत का क्रय करते हैं, सामान्य विक्रेता हेतु, नदी प्रवाहित (run of river) विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा नगरपालिक ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र को छोड़कर, के लिये विचलन प्रभारों की संगणना समय–समय पर यथासंशोधित केविविआ

(विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार की जाएगी।

(15) नगरपालिक ठोस अपशिष्ट संयन्त्रों पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिये विचलन प्रभार जो सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण सिद्धान्त (Merit Order Despatch Principle) के अध्यधीन हों, हेतु सामान्य विक्रेता (नगरपालिक ठोस अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र होने के कारण) के लिये संगणना समय–समय पर यथासंशोधित केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार की जाएगी।

(16) क्षेत्रीय इकाई (Regional Entity) के विस्तार क्षेत्र (Periphery) की सीमा के अन्तर्गत खुली पहुंच हेतु विचलन प्रभारों की गणना हेतु विचलन दर (Deviation Rate) केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेन्जिम क्रियाविधि) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट विचलन प्रभार की 105% (अधिक–आहरण या कम–उत्पादन हेतु) तथा 95% (कम–आहरण या अधिक–उत्पादन हेतु) होगी।

(17) पवन तथा सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु विचलन प्रभारों की गणना समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थान, क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के अनुसार की जाएगी।

(18) यदि विद्युत की आपूर्ति राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों से मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड की सहायक इकाईयों (Auxiliaries) के संचालन हेतु चाही गई हो तो विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत प्रदाय अनिवार्य रूप से करना होगा। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के विद्युत उत्पादन केन्द्रों की सहायक इकाईयों के संचालन हेतु की गई विद्युत की आपूर्ति को विद्युत उत्पादन केन्द्र (पावर स्टेशन) की सहायक विद्युत खपत माना जाएगा तथा इसे तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनी के आहरण में से घटा दिया जाएगा।

(19) विचलन प्रभारों का व्यवस्थापन, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संचालित किये जाने वाले राज्य डीएसएम संकोष लेखा के माध्यम से किया जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (जिसका शाखा

कार्यालय जबलपुर में स्थित हो) के साथ एक पृथक बैंक खाता खोला तथा संधारित किया जाएगा।

(20) विचलन प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा संबंधित इकाई को दर्शाई गई राशि का भुगतान राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा वितरण पत्र जारी होने की तिथि से 7 (सात) दिवस के भीतर करना होगा। भुगतान में चूक होने पर चूककर्ता को विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान 0.04% की दर से प्रति दिवस विलंब हेतु करना होगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विचलन के लिये मूलधन राशि तथा ब्याज राशि के घटक हेतु पृथक लेखा पुस्तकें संधारित की जाएंगी।

(21) कोई भी राज्यान्तरिक इकाई जिसके द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान इन विनियमों में निर्दिष्ट की गई समय सीमा के भीतर विचलन संबंधी प्रभारों के भुगतान में चूक की गई हो, को एक साख–पत्र खाता (Letter of credit) खोलना होगा जिसकी राशि पूर्व वित्तीय वर्ष में विचलन हेतु औसत साप्ताहिक देयता के 110% के बराबर होगी। यह खाता राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पक्ष में चालू वित्तीय वर्ष प्रारंभ होनेके एक पखवाड़े (fortnight) के भीतर खोलना होगा।

उदाहरण : यदि विचलन हेतु राज्याान्तरिक इकाई की औसत साप्ताहिक देयता (Average Weekly Liability) वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु रू. 2 करोड़ हो तो राज्यान्तरिक इकाई को वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू. 2.2 करोड़ के साख–पत्र के साथ खाता खोलना होगा।

(22) राज्य विचलन संकोष खाते में विचलन प्रभारों के विवरण जारी होने की तिथि से 7 दिवस के भीतर भुगतान में चूक किये जाने की स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र को चूक किये जाने की सीमा तक ,संबंधित राज्य ईकाई के साख पत्र को भुनाने (encash) का अधिकार होगा तथा संबंधित राज्य इकाई साख पत्र की राशि की प्रतिपूर्ति (recoup) तीन दिवस के भीतर करेगी।

राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा (State Reactive Account)

(23) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिताओं की अर्हताओं के अनुपालन में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र वेबसाईट पर राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार राशि की उपलब्धता के पश्चात्, सप्ताह के अंतिम दिवस से 10 दिवस के भीतर या फिर बाद में किसी तिथि को,

साप्ताहिक राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा (SRA) तैयार कर विद्युत वितरण कम्पनियों को जारी करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र आवश्यकतानुसार समय–समय पर राज्य प्रतिक्रियाशील लेखे को पुनरीक्षित करेगा।

राज्य प्रतिक्रियाशील लेखे में मोटे तौर पर निम्न जानकारी सम्मिलित की जाएगी :

(क) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, न्यून वोल्टेज (<97%) तथा उच्च वोल्टेज (>103%) के दौरान दिवसवार शुद्ध प्रतिक्रियाशील ऊर्जा अन्तःक्षेपण/आहरण के विवरण ;

(ख) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, न्यून वोल्टेज (<97%) तथा उच्च वोल्टेज (>103%) के दौरान साप्ताहिक कुल शुद्ध प्रतिक्रियाशील ऊर्जा अन्तःक्षेपण/आहरण की संक्षेपिका ;

(ग) राज्यान्तरिक इकाई (नवीकरणीय ऊर्जा विद्यु उत्पादकों को छोड़कर) द्वारा भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य प्रतिक्रियाशींल प्रभारों की संक्षेपिका (टीप : प्रतिक्रियाशील ऊर्जा की दर समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय ग्रिड संहिता के अनुसार ली जाएगी) ; तथा

(घ) अन्य कोई ब्यौरे, जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा को संपूर्ण किये जाने के संबंध में आवश्यक समझे।

(24) राज्य में प्रतिक्रियाशील ऊर्जा संव्यवहारों हेतु निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

(क) वोल्टेज 97% से कम होने पर, आहरण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (+) भुगतान–योग्य राशि ;

(ख) वोल्टेज 97% से कम होने पर, अन्तःक्षेपण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (–) प्राप्ति–योग्य राशि ;

(ग) वोल्टेज 103% से अधिक होने पर, अन्तःक्षेपण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (+) भुगतान–योग्य राशि ;

(घ) वोल्टेज 103% से अधिक होने पर, आहरण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (–) प्राप्ति–योग्य राशि ।

(25) उपरोक्त में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी दशा में जब ग्रिड की सुरक्षा अथवा किसी उपकरण का बचाव संकटापन्न हो तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र किसी विद्युत वितरण कम्पनी को उसके प्रतिक्रियाशील आहरण/

अन्तःक्षेपण में कटौती किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित कर सकेगा। राज्य ग्रिड से संयोजित समस्त विद्युत उत्पादन केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के दिशा–निर्देशों के अनुरूप विद्युत उत्पादन इकाईयों की क्षमता सीमाओं के अन्तर्गत प्रतिक्रियाशील ऊर्जा का उत्पादन/अन्तर्लयन (absorb) करेंगे।

(26) प्रतिक्रियाशील ऊर्जा का व्यवस्थापन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाएगा :

नाम पद्धति (पारिभाषिक शब्दावली) :

आरआरसी (RRC) : मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान–योग्य (+)/ प्राप्ति–योग्य (–) क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभारों तथा अन्तर्राज्यीय द्विपक्षीय प्रतिक्रियाशील प्रभारों का योग।

एसआरसीपी (SRCP) : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा भुगतान–योग्य (+) कुल राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार होंगे।

एसआरसीआर (SRCR) : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्ति–योग्य (–) कुल राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार होंगे।

आरआरए (RRA) : राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा में उपलब्ध प्रतिक्रियाशील आरक्षित राशि होगी (अर्थात् बचत की अधिशेष राशि, जो पूर्व के समस्त प्रतिक्रियाशील लेन–देन संव्यवहारों के व्यवस्थापन के पश्चात् उपलब्ध होगी)।

(क) प्रकरण प्रथम : यदि क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार, मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान–योग्य (+) हैं तथा (क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार + राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार, प्राप्ति–योग्य) राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार भुगतान–योग्य से कम है : शेष राशि को प्रतिक्रियाशील संचिति के रूप में, क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार तथा राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति–योग्य के भुगतान के पश्चात् रखा जाएगा।

(ख) प्रकरण–द्वितीय : यदि क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान–योग्य (+) हैं तथा क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार + राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार, प्राप्ति–योग्य, राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार भुगतान–योग्य से अधिक है : बचत राशि यदि कोई हो, जो प्रतिक्रियाशील संचितिं राशि के रूप में, उपलब्ध हो, को वापस आहरित

किया जाएगा ताकि इसका मिलान (क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार + राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति–योग्य) तथा राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार भुगतान–योग्य से किया जा सके। यदि कोई संचिति अर्थात् आपूर्ति रिजर्व उपलब्ध न हो अथवा यदि यह घाटे की आपूर्ति हेतु अपर्याप्त हो तो राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति–योग्य को समुचित रूप से कम किया जाएगा ताकि वह कुल भुगतान–योग्य तथा कुल प्राप्ति योग्य राशियों से मेल खाये।

(ग) प्रकरण–तृतीय : यदि क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्राप्ति–योग्य (–) है तथा क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार + राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार, प्राप्ति–योग्य, राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति–योग्य से कम है : तो ऐसी दशा में कुल राज्य प्रतिक्रियाशील प्राप्ति–योग्य के भुगतान के पश्चात् शेष राशि को प्रतिक्रियाशील संचिति राशि (आरआरए) के रूप में रखा जाएगा।

(घ) प्रकरण–चतुर्थ : यदि क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्राप्ति–योग्य (–) हैं तथा क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार + राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार, प्राप्ति–योग्य, राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति–योग्य से अधिक है : बचत राशि यदि कोई हो, जो संचित (आरआरए) के रूप में उपलब्ध हो, को वापस आहरित किया जाएगा ताकि इसका मिलान (क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार + राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार भुगतान–योग्य) तथा राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति–योग्य से किया जा सके। यदि कोई संचित राशि उपलब्ध न हो अथवा यदि यह घाटे की आपूर्ति हेतु अपर्याप्त हो तो ऐसी दशा में राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति–योग्य को समुचित रूप से कम किया जाएगा ताकि वह कुल भुगतान–योग्य तथा प्राप्ति–योग्य से मेल खाये।

(ङ) प्रकरण–पंचम : यदि राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्ति–योग्य हों तथा कोई भी क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति–योग्य न हों तथा संचित (आरआरए) में कोई शेष राशि उपलब्ध न हो तो ऐसी दशा में विद्युत वितरण कम्पनियों को कोई भी प्रतिक्रियाशील प्रभार भुगतान–योग्य न होंगे।

(27) प्रतिक्रियाशील प्रभारों (Reactive Charges) के भुगतान को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा संबंधित इकाई को देय राशियों का भुगतान राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा विवरण–पत्र जारी होने के सात (7) दिवस के भीतर करना होगा। देय राशि के भुगतान में चूक होने पर विलम्ब भुगतान अधिभार का भुगतान 0.04% की दर से प्रति दिवस विलम्ब हेतु देय होगा। प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का समस्त व्यवस्थापन भुगतान राज्य प्रतिक्रियाशील लेखे के माध्यम से किया जाएगा जिसका संधारण तथा संचालन राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाएगा। राज्य प्रेषण केन्द्र दोनों विचलन प्रभारों तथा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों के लिये व्यवस्थापन भुगतान की राशि के भुगतान के लिये एकल बैंक खाता संधारित कर सकेगा परन्तु इसके लिए लेखे खाते पृथक–पृथक संधारित करने होंगे।

(28) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा हेतु प्रभार मूलधन राशि तथा ब्याज घटक के लिए पृथक–पृथक पुस्तकों में संधारित किये जाएंगे।

8. **विचलन प्रभारों के असन्तुलित व्यवस्थापन की प्रक्रिया (Procedure for Imbalance Settlement of Deviation Charges)**

इस संहिता के उपबंधों के अनुरूप राज्यान्तरिक इकाईयों हेतु विचलन प्रभारों के असंतुलित व्यवस्थापन का उदाहरण परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

9. **आंकड़ा अभिलेखों की आवश्यकताएं (Data Archiving Requirements)**

समस्त इंकाईयों द्वारा समाप्त अभिलेख/जानकारी/आंकड़े निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट की गई समयावधि हेतु उचित रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे। ये अभिलेख किसी भी समय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा नियुक्त किये गये किसी स्वतंत्र लेखा–परीक्षण अभिकरण (एजेंसी) द्वारा अंकेक्षण के प्रयोजन हेतु सुगमता से पुनः अधिष्ठापित किये जाने के सुयोग्य रखे जायेंगे :

अनु. क्रमांक	अभिलेख/जानकारी/आंकड़े	प्रकार तथा उसकी कालावधि	उत्तरदायित्व
1	राज्यान्तरिक इकाईयों द्वारा लघु–अवधि खुली पहुंच तथा संबद्ध संविदाएं/अनुबन्ध	इलेक्ट्रॉनिक–2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
2	समस्त राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों /नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की घोषित क्षमता तथा समस्त	इलेक्ट्रॉनिक–2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उत्पादन नियन्त्रण केन्द्र

	अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों में स्वत्वाधिकार (समस्त पुनरीक्षणों सहित)		
3.	प्रत्येक वितरण कम्पनी की मांग, स्वत्वाधिकार तथा मांग पत्र (समस्त पुनरीक्षणों सहित)	इलेक्ट्रॉनिक–2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, वितरण नियन्त्रण केन्द्र (डीसीसी)
4.	लघु अवधि खुली पहुंच संव्यवहार द्विपक्षीय संव्यवहार (प्रत्यक्ष तथा व्यापारियों के माध्यम से) तथा विद्युत विनिमय केन्द्रों के माध्यम से सामूहिक संव्यवहार	इलेक्ट्रॉनिक–2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, वितरण नियन्त्रण केन्द्र (डीसीसी)
5.	अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्र, विक्रेता, क्रेता की अनुसूचियां (समस्त पुनरीक्षणों सहित)	इलेक्ट्रानिक–2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उत्पादन नियन्त्रण केन्द्र, वितरण नियंत्रण केन्द्र
6.	राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र, क्रेता के अन्तरापृष्ठों से उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) मापयन्त्र आंकड़े 15–मिनट के समय खण्ड में	इलेक्ट्रॉनिक–2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
7.	राज्य भार प्रेषण केन्द्र के राज्यान्तरिक इकाईयों को दिशा–निर्देशों के विवरण	इलेक्ट्रॉनिक–2 वर्ष	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
8.	राज्य भार प्रेषण केन्द्र को राज्यान्तरिक इकाईयों के अनुरोध संबंधी विवरण	इलेक्ट्रॉनिक–2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
9.	परिचालन, वाणिज्यिक वितरण नियंत्रण केन्द्र अथवा विपणन अंकेक्षण के प्रयोजन से अन्य कोई जानकारी जो आवश्यक समझी जाए।	इलेक्ट्रॉनिक–2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उत्पादन नियन्त्रण केन्द्र, वितरण नियंत्रण केन्द्र

10. **विपणन अंकेक्षण हेतु स्थाई समिति (Standing Committee For Market Audit)**

(1) आयोग, विपणन संव्यवहारों की स्वतंत्र समीक्षा व अंकेक्षण हेतु तथा राज्यान्तरिक इकाईयां जिन्हें संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता लागू होती हो, के आचरण पर निगरानी हेतु एक स्थाई समिति की नियुक्ति कर सकेगा। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे :

(क) राज्य भार प्रेषण केन्द्र से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी होगा)– स्थाई समिति का अध्यक्ष

(ख) राज्य पारेषण इकाई से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी होगा) ;

(ग) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य महाप्रबंधक पद या समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी होगा) ;

(घ) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी होगा) ;

(ङ) तीन विद्युत वितरण कम्पनियों से एक प्रतिनिधि (प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी से चक्रानुक्रम अनुसार एक वर्ष की अवधि हेतु जो मुख्य महाप्रबंधक या समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी होगा) ;

(च) नेशनल हाईड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (जिनकी स्थापित स्थापित क्षमता 250 मेगावाट तथा इससे अधिक हो) तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों (जिनकी स्थापित क्षमता एकल स्थान पर 50 मेगावाट या इससे अधिक हो) से एक प्रतिनिधि एक वर्ष के लिये चक्रानुक्रम अनुसार ; तथा

(छ) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र/विद्युत वितरण कम्पनी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड/मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड /राज्य पारेषण इकांई से एक प्रमाणित ऊर्जा अंकेक्षक जिसे स्थाई समिति द्वारा समिति को ऊर्जा अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नामांकित किया जाएगा।

(2) अंकेक्षण कार्य वर्ष में दो बार निष्पादित किया जाएगा तथा समिति आयोग को अंकेक्षण कार्य प्रारंभ किये जाने से साठ दिवस के भीतर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(3) समिति, आयोग को परिवर्धनों तथा सुझावों (यदि कोई हों) की अनुशंसा करेगी। आयोग, तद्नुसार आवश्यकता पड़ने पर, संबंधित धारा अथवा आदेश अथवा प्रक्रिया को संशोधित तथा अधिसूचित कर सकेगा।

11. **संहिता की प्रयोज्यता (Applicability of Code)**

यह संहिता समस्त राज्य पारेषण नेटवर्क से जुड़े विक्रेता तथा क्रेता जिनका ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जा रहा है, इसके लागू होने की तिथि से प्रयोज्य होगी जैसा कि इस संबंध में पृथक से आयोग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाए।

12. **कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां**

(1) इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग, किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई और/या राज्यान्तरिक इकाईयों में से किसी भी इकाई को उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो अधिनियम के उपबन्धों के असंगत नहीं होंगी जो आयोग को कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस संहिता के लागू किये जाने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाईयां दूर किये जाने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई और/या राज्यान्तरिक इकाईयों में से कोई भी इकाई आयोग को आवेदन प्रस्तुत कर उचित आदेश पारित किये जाने हेतु भी निवेदन कर सकेंगी।

13. **संशोधन की शक्ति**

आयोग किसी भी समय आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए इस संहिता के किन्हीं उपबंधों में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार, उपांतरण या संशोधन कर सकेगा।

14. **व्यावृति**

(1) संहिता अर्थात् "मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 {आरजी–34(1), वर्ष 2015} एतद् द्वारा निरसित की जाती है।

(2) इस संहिता में की गई कोई भी बात, आयोग को अन्तर्निहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है, सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी।

(3) इस संहिता की कोई भी बात, आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने में नहीं रोकेगा जो इन संहिता के किन्हीं प्रावधानों से अन्यथा हो।

(4) इस संहिता की कोई भी बात, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग को, किसी विषय या अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों के प्रयोग से वर्जित नहीं करेगी जिसके लिए कोई विनियम या सहिंता नहीं बनाई गई हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों, शक्तियों तथा कृत्यों उसी प्रकार से, जैसा वह उचित समझे, कार्यवाही कर सकेगा।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभाष होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डा, आयोग सचिव.

परिशिष्ट

राज्यान्तरिक इकाईयों के विचलन प्रभारों पर असंतुलन व्यवस्थापन संबंधी प्रक्रिया

(Procedure For Imbalance Settlement of Deviation Charges of Intra State Entities)

विचलन प्रभारों का संकोष सन्तुलन (Pool balancing) तीन चरणों में किया जाएगा, प्रथम चरण में राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों (म.क्षे., पू.क्षे. एवं प.क्षे.) के कुल विचलन प्रभारों तथा क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (DSM) का पूर्व संकोष सन्तुलन किया जाएगा, विद्युत वितरण कम्पनियों के कुल विचलन प्रभार (भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य) का दिवस स्तर पर मिलान किया जाएगा ताकि अन्य राज्यान्तरिक इकाईयों पर अनावश्यक समायोजन से बचा जा सके : दूसरे चरण में खुली पहुंच क्रेताओं को छोड़कर समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का दीर्घ–अवधि के अन्तर्गत द्वितीय चरण संकोष सन्तुलन किया जाएगा तथा तृतीय चरण में खुली पहुंच क्रेताओं तथा उत्पादक जो अशक्त ऊर्जा का अन्तःक्षेपण करते हैं, को सम्मिलित किया जाएगा। तृतीय चरण में खुली पहुंच क्रेता को छोड़कर तथा उत्पादक जो अशक्त ऊर्जा (infirm power) का अन्तःक्षेपण करते हैं को सम्मिलित करने का उद्देश्य यह है कि खुली पहुंच क्रेताओं से सामान्य समायोजन हो जाता है भले ही मप्र द्वारा क्षेत्रीय विचलन की भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य राशि अत्यधिक हो।
चरण–1 राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों (म.क्षे, पू.क्षे और प.क्षे) के कुल विचलन प्रभारों का पूर्व संकोष सन्तुलन (पूल बैलेंसिंग) तथा क्षेत्रीय DSM राशि
प्रत्येक राज्य विद्युत वितरण कम्पनी (म.क्षे., पू.क्षे. एवं प.क्षे.) के ब्लाक वार विचलन प्रभारों की गणना सप्ताह के अन्त में की जाएगी। ब्लाक वार DSM प्रभारों का दिवस स्तर पर योग किया जाएगा ताकि कुल DSM प्रभारों को दिवस हेतु प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी (म.क्षे., पू.क्षे. एवं प.क्षे.) भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य बनाया जा सके। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य कुल क्षेत्रीय विचलन प्रभारों की राशि क्षेत्रीय DSM लेखा से प्राप्त की जाती है जिसे 'WRPC' द्वारा तैयार किया जाता है।
माना कि किसी सप्ताह में एक दिवस को :
प्रत्येक राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भुगतान–योग्य राशि, माना कि D1=4500, D2=3000, D3=2000 है तथा क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि राशि (DSM) विचलन प्रभार राशि मप्र द्वारा भुगतान–योग्य तथा प्राप्ति–योग्य = 7000 है, जहां D1, D2, D3 राज्य विद्युत वितरण कम्पनियां (CZ, EZ तथा WZ) हैं।

यदि कुल भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य DSM प्रभार प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी (CZ, EZ तथा WZ) एक दिवस हेतु एक ही दिशा की ओर हैं (अर्थात् भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य हैं तथा क्षेत्रीय DSM राशि भी राज्य संकोष (Pool) से भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य है तो विद्युत वितरण कम्पनियों तथा क्षेत्र की कुल भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य राशि का अन्तर समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों को उनके DSM प्रभारों के अनुपात में होगा

विवरण

समायोजित राशि –(विद्युत वितरण कम्पनी की मूल DSM राशि/समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों का कुल DSM राशि) x क्षेत्रीय DSM राशि

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा देय राशि

सहभागीगण	मूल भुगतान–योग्य	समायोजित राशि
D1	4500	(4500/9500) x 7000 = 3316
D2	3000	(3000/9500) x 7000 = 2210
D3	2000	(2000/9500) x 7000 = 1474
कुल भुगतान योग्य राशि	9500	7000

राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों के कुल विचलन प्रभारों का पूर्व संकोष संतुलन

सहभागियों द्वारा भुगतान–योग्य राशि		सहभागियों द्वारा प्राप्ति–योग्य राशि	
D1	3316	क्षेत्रीय DSM राशि	7000
D2	2210		
D3	1474		
कुल भुगतान योग्य राशि	7000		

यदि दिवस हेतु प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी (CZ, EZ तथा WZ) द्वारा भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य कुल DSM प्रभार एक ही दिशा में न हों तो (अर्थात् भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य), उनका मिलान करने के प्रयोजन से "कुल भुगतान–योग्य" तथा "कुल प्राप्ति–योग्य" को आधार के रूप में लिया जाता है तथा भुगतान–योग्य/प्राप्ति योग्य का औसत के लिये मिलान किया जाता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों (CZ, EZ,तथा WZ) के कुल विचलन प्रभार तथा क्षेत्रीय DSM राशि (किसी सप्ताह में किसी दिये गये दिवस हेतु)

सहभागियों द्वारा भुगतान–योग्य राशि		सहभागियों द्वारा प्राप्ति–योग्य राशि	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
D2	3000	D1	4500
D3	2000	क्षेत्रीय DSM राशि	7000
कुल भुगतान–योग्य राशि	**5000**	**कुल प्राप्ति–योग्य**	**11500**

इस प्रकार, राज्य विचलन संकोष को/से भुगतान–योग्य तथा प्राप्ति–योग्य राशियां किसी दिये गये दिवस के लिये मेल नहीं खाती हैं। अतएव, इनका मिलान करने के लिये "कुल भुगतान–योग्य" तथा "कुल प्राप्ति–योग्य" के औसत को आधार के रूप में लिया जाता है तथा भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य राशियों का औसत हेतु मिलान किया जाता है।

विवरण	कुल भुगतान–योग्य राशि	कुल प्राप्ति–योग्य राशि
महायोग (Sum Total)	5000	11500
"कुल भुगतान–योग्य" तथा "कुल प्राप्ति–योग्य राशियों" का औसत	8250	
समायोजन अनुपात # AR_{p1} (=औसत/कुल भुगतान–योग्य राशि)	1.650000	
समायोजन अनुपात # AR_{R1} (=औसत/	0.71391	

कुल प्राप्ति–योग्य राशि)	

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा भुगतान–योग्य राशि

सहभागीगण	मूल भुगतान–योग्य	समायोजन अनुपात	समायोजित भुगतान–योग्य
D2	3000	1.650000	4950
D3	2000	1.650000	3300
कुल भुगतान–योग्य	5000		8250

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्ति–योग्य राशि

सहभागीगण	मूल प्राप्ति–योग्य	समायोजन अनुपात AR_{R1}	समायोजित प्राप्ति–योग्य
D1	4500	0.71391	3228
क्षेत्रीय DSM राशि	7000	0.71391	5022
कुल प्राप्ति–योग्य	115000		8250

चूंकि क्षेत्रीय DSM राशि का भुगतान बिना किसी समायोजन के किया जाना चाहिए, ऐसे में समायोजित क्षेत्रीय DSM राशि तथा मूल क्षेत्रीय DSM राशि में अन्तर की वसूली अवशेष सहभागी से उनकी मूल राशियों के अनुपात में की जानी चाहिए

समायोजित DSM राशि तथा वास्तविक क्षेत्रीय DSM राशि में अन्तर	5022-7000= -1978
मूल कुल प्राप्ति–योग्य राशियां वास्तविक क्षेत्रीय DSM राशि को छोड़कर	11500-7000=4500
प्राप्ति–योग्य राशियों हेतु समायोजन अनुपात AR_{R2}	-1978/4500=-.439613527

द्वितीय प्रक्रम समायोजन

सहभागीगण	मूल प्राप्ति–योग्य	समायोजन अनुपात AR_{R1}	भुगतान–योग्य समायोजित
D1	4500	-0.439613527	-1978
कुल प्राप्ति–योग्य राशि	4500		-1978

सहभागियों द्वारा प्राप्ति–योग्य राशि (किसी सप्ताह में दिये गये दिवस हेतु) – अन्तिम

सहभागीगण	प्रथम समायोजन के बाद राशि	द्वितीय समायोजन राशि	कुल (अन्तिम) समायोजित अनुपात
D1	3228	-1978	1250
क्षेत्रीय DSM राशि	7000	0	7000
कुल प्राप्ति–योग्य	10228		8250

राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों के कुल विचलन प्रभारों का पूर्व संकोष सन्तुलन

सहभागियों द्वारा भुगतान–योग्य राशि		सहभागियों द्वारा प्राप्ति–योग्य राशि	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
D2	4950	D1	1250
D3	3300	क्षेत्रीय DSM राशि	7000
कुल भुगतान–योग्य राशि	8250	कुल प्राप्ति–योग्य राशि	8250

चरण–2 {समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों की (दीर्घ कालीन के अन्तर्गत) संकोष संतुलन (पूल बैलेंसिंग), खुली पहुंच क्रेताओं को छोड़कर}

दिवसवार विद्युत वितरण कम्पनियों (CZ, EZ तथा WZ) के कुल विचलन प्रभार जैसा कि वे चरण–1 से प्राप्त किये गये हैं, लिया जाता है तथा अन्य दीर्घ–अवधि राज्यान्तरिक इकाईयों के कुल विचलन प्रभारों को क्षेत्रीय राशि (भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य) के साथ सम्मिलित किया जाता है तथा संकोष सन्तुलन किया जाता है। किसी दिवस हेतु प्रत्येक सहभागी हेतु कुल DSM प्रभारों को भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य बनाने हेतु अन्य राज्यान्तरिक इकाईयों के खण्डवार

विचलन प्रभारों को दिवस स्तर पर जोड़ा जाता है।

राज्य DSM संकोष लेखा (किसी सप्ताह/मास में दिये गये दिवस हेतु)

सहभागियों द्वारा भुगतान–योग्य राशि		सहभागियों द्वारा प्राप्ति–योग्य राशि	
सहभागीगण	**रूपये**	**सहभागीगण**	**रूपये**
D2	4950	D1	1250
D3	3300	D4	500
D5	1000	SSGS3	3500
SSGS1	3500	क्षेत्रीय DSM राशि	7000
SSGS2	1500		
कुल भुगतान योग्य राशियां	14250	कुल प्राप्ति–योग्य राशियां	12250

जहां D4 तथा D5 अन्य विद्युत वितरण कम्पनियां (विशेष आर्थिक परिक्षेत्र और रेलवे) हैं

SSGS1, SSGS2, SSGS3, राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र हैं।

राज्य विचलन संकोष को/से भुगतान–योग्य तथा प्राप्ति–योग्य राशि का किसी दिवस हेतु मिलान नहीं हो रहा है। इनका मिलान किये जाने के प्रयोजन से "कुल भुगतान–योग्य" तथा "कुल प्राप्ति–योग्य" राशियों के औसत को औसत के रूप में मिलान किया जाता है।

विवरण	कुल भुगतान–योग्य राशि	कुल प्राप्ति–योग्य राशि
महायोग (Sum Total)	14250	12250
"कुल भुगतान–योग्य" तथा "कुल प्राप्ति–योग्य राशियों" का औसत	13250	
समायोजन अनुपात # AR_{R1} (= औसत/कुल भुगतान–योग्य राशि)	0.929825	
समायोजन अनुपात # AR_{R1} (= औसत कुल प्राप्ति–योग्य राशि)	1.081633	

प्रक्रम प्रथम समायोजन

सहभागियों द्वारा भुगतान–योग्य राशि–प्रथम समायोजन

सहभागीगण	मूल राशि भुगतान–योग्य	समायोजन अनुपात AR_{R1}	समायोजित भुगतान–योग्य
D2	4950	0.929825	4603
D3	3300	0.929825	3068
D5	1000	0.929825	930
SSGS1	3500	0.929825	3254
SSGS2	1500	0.929825	1395
कुल भुगतान–योग्य राशियां	**14250**		**13250**

सहभागियों द्वारा प्राप्ति–योग्य राशि–प्रथम समायोजन

सहभागीगण	मूल राशि प्राप्ति–योग्य	समायोजन अनुपात ARP1	समायोजित प्राप्ति–योग्य राशि
D1	1250	1.081633	1352
D4	500	1.081633	541
SSGS3	3500	1.081633	3786

क्षेत्रीय DSM राशि	7000	1.081633	7571
कुल प्राप्ति–योग्य राशियां	**12250**		**13250**

चूंकि क्षेत्रीय DSM राशि का भुगतान बिना किसी समायोजन के किया जाना चाहिए, अतः "वास्तविक क्षेत्रीय DSM राशि तथा "समायोजित DSM राशि" की वसूली शेष सहभागियों से उनकी मूल राशि के अनुपात में की जाएगी

समायोजित DSM राशि तथा वास्तविक क्षेत्रीय DSM राशि में अन्तर	7571-7000=571
मूल प्राप्ति–योग्य राशियां, वास्तविक क्षेत्रीय DSM राशि को छोड़कर	12250-7000=5250
प्राप्ति–योग्य राशियों हेतु समायोजन अनुपात # AR_{R2}	571/525=0.108844

द्वितीय प्रक्रम समायोजन

सहभागीगण	मूल प्राप्ति–योग्य राशियां	समायोजन अनुपात AR_{R1}	समायोजित प्राप्ति –योग्य राशियां
D1	1250	0.108844	136
D4	500	0.108844	54
SSGS3	3500	0.108844	381
कुल भुगतान–योग्य राशियां	**5250**		**571**

सहभागियों द्वारा प्राप्ति–योग्य राशि (किसी सप्ताह में किसी दिवस हेतु) अन्तिम

सहभागीगण	प्रथम समायोजन राशि	द्वितीय समायोजन राशि	कुल (अन्तिम) समायोजित राशि
D1	1352	136	1488
D4	541	54	595
SSGS3	3786	381	4167
क्षेत्रीय DSM राशि	7000	0	7000
कुल प्राप्ति–योग्य राशियां	**12679**		**13250**

दीर्घ–अवधि इकाईयों का सन्तुलित राज्य DSM संकोष लेखा

सहभागीगण	रूपये भुगतान–योग्य	सहभागीगण	रूपये
D2	4603	D1	1488
D3	3068	D4	595
D5	930	SSGS3	4167
SSGS1	3254	क्षेत्रीय DSM राशि	7000
SSGS2	1395		
कुल भुगतान योग्य राशियां	**13250**	**कुल प्राप्ति–योग्य राशि**	**13250**

चरण–3 (प्रक्रम I तथा II)

चरण–2 के अन्तर्गत सन्तुलित DSM संकोष लेखा प्राप्त करने के पश्चात्, खुली पहुंच विद्युत उत्पादक/खुली पहुंच उपभोक्ता (लघु अवधि) के अन्तर्गत तथा विद्युत उत्पादक जो अशक्त ऊर्जा अन्तःक्षेपित करते हैं को सम्मिलित किया जाता है तथा अन्तिम सन्तुलित DSM संकोष लेखा प्राप्त करने हेतु (चरण–2) के अनुरूप क्रियाविधि अपनाई जाती है।